

प्रारूप – VII
(नियम 12 देखें)
[विरोधी पक्षकार को सूचना]

मू. आ. सं

.....आवेदक

बनाम

भारत संघ, महाप्रबंधक,रेलवे के माध्यम से.

.....प्रत्यर्थी

सेवा में

.....
.....
.....

उपर्युक्त आवेदक ने आपके विध्द प्रतिकर का दावा करते हुए आवेदन फाइल किया है और उक्त आवेदक इस अधिकरण में तारीख10.30 बजे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

आपको इस अधिकरण के समक्ष स्वयं या सम्यकत : प्राधिकृत किसी ऐसे विधि व्यवसायी जो आवेदन से संबंधित सभी तात्विक प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो, के माध्यम से हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है और आपको यह और निदेश दिया जाता है कि आप उस दिन अपने प्रतिवाद का उत्तर फाइल करें और उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें जो आपके कब्जे में हैं या वह अधिकार पत्र जिस पर आपका प्रतिवाद आधारित है.

आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित तारीख को आपके हाजिर न होने पर, इस आवेदन की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी गैरहाजिरी में कर लिया जाएगा .

मेरे हस्ताक्षर से और अधिकरण की मुद्रा से आज तारीखको जारी किया गया।

(रजिस्ट्रार)